RNI Regn. No. : UPHIN/2004/13685

पत्रिका

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987–88)

वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226 004

फोन : 0522–2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522–2242486

ई–मेल : coldstorage@satyam.net.in **वेबसाइट :** http://www.fcaoi.org

श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400

मूल्य : 1/– रु0 30 नवम्बर, 2011 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री राजेश गोयल, आगरा। वर्ष : 8, अंक : 6

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

अब तक हमारा भण्डारण का अतिरिक्त समय भी समाप्त हो चुका है। भण्डारण सत्र 31 अक्टूबर तक का था। सरकार ने भण्डारण का समय एक महीना और बढ़ा दिया था। हमने कई शीतगृहों के पूछने पर सत्र और समय का अन्तर भी समझाया था। सत्र यानि (season) सीजन अर्थात वह समय जो अधिकांश शीतगृह भण्डारण की रसीदों पर लिख कर देते हैं कि इस तारीख तक के लिए भण्डारण का यह आलू स्वीकार किया जा रहा है। अतः उस रसीद पर दी गई भण्डारण की दर लिखी गई तारीख के लिए मान्य होती है। इसके अतिरिक्त भण्डारण करने पर जैसे कि सरकारी आदेश मे 30 नवम्बर के लिए कहा गया है, शीतगृह अतिरिक्त प्रभार ले सकते हैं परन्तु इस वर्ष हमने आलू की दशा देखकर अतिरिक्त प्रभार न लेने की भी सलाह दी थी।

30 नवम्बर तक भण्डारण करने पर अधिकांश शीतगृह की यह रिपोर्ट आई है कि उनके यहाँ मशीने सूचारू रूप से चलाने के बाद भी आलू की दशा गिरती चली गई। हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश मे उत्पादित आलू शीतगृहों में आठ माह से अधिक सही रूप से भण्डारित नहीं किया जा सकता।

इस समय बाजार भाव 60 रू से 110 रू पैक्ट के बीच में चल रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज आलू की माँग नहीं के बराबर है और सफेद आलू को तो कोई पूछ भी नहीं रहा है।

एक सुखद समाचार यह भी है कि आलू की बुआई बहुत अच्छी हो रही है और आशा की जा रही है कि आलू का क्षेत्रफल पिछले साल से भी 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ जायेगा।

30 नवम्बर तक शीतगृह चलाने के कारण अब आपके पास मशीन व बिल्डिंग की मरम्मत का समय बहुत कम बचा है। अतः इस काम में तेजी लाये।

कुछ विशेष सावधानियाँ

1. यदि आपके यहाँ बिजली का ट्रांसफार्मर लगा है तो उसके तेल लेवल को जरूर चेक करवा लें। कम होने पर तेल पूरा भर दें। यदि ट्रांसफार्मर बिजली कम्पनी का है तो भी यह कोशिश करें की बिजली कम्पनी वाले एक बार अच्छी तरह से चेक कर जाए।
2. अपने यहाँ लगे रिसीवर की प्रेशर टेस्टिंग अवश्य करवा लें यह 600 पौण्ड हाईड्रोलिक से कम नहीं होनी चाहिए।
3. अपने शीतगृह कक्षों के इन्सुलेशन पर विशेष ध्यान दें और जहाँ–जहाँ भी मरम्मत की जरूरत हो उसे अवश्य ठीक करवाये। दक्षिण की दिशा वाली दीवार पर विशेष ध्यान दें।
4. अधिकांशतः शीतगृहों की छतों पर लीक पैदा हो जाती है और पानी रिसने लगता है। इसे ठीक करवाए। नालीदार छतों पर पाइप या बाल्टी से पानी फेक कर लीक चेक कर सकते हैं।
5. दरवाजों की लीक अवश्य चेक करें और उसका निदान कराये। दरवाजों के रास्ते बहुत ठण्डी हवा कमरों से बाहर निकल जाती है। अगर लीक ठीक नहीं हो पा रही हो तो नए दरवाजे, अच्छी कम्पनी के बने हुए, लगा लें।
6. बिजली में पावर फैक्टर पर विशेष नजर रखें। जाड़ो मे जब शीतगृह बन्द रहता है तो शीतगृहों के पावर फैक्टर गिर जाने की सम्भावना बढ़ जाती है। और तब बिजली कम्पनी बहुत ऊँचा जुर्माना लगा देती है।

वार्षिक मीटिंग के सम्बन्ध में:

जैसे आपको ज्ञात होगा कि कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की वार्षिक मीटिंग 7.12.2011 को लखनऊ मे आयोजित की गई है। इस मीटिंग के सम्बन्ध में हम आपको एक पत्र भी भेज चुके हैं। इस पत्र को हम यहाँ पुनः प्रकाशित कर रहे हैं।

410 / सी.एस.ए. 27 / 372 / 2011 दिनाक 15.11.2011

समस्त सदस्य कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

बन्धुवर,

हम आपको पुनः सूचित कर रहे है कि कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की वार्षिक मीटिंग 7 दिसम्बर, 2011 को लखनऊ में आयोजित की जा रही है। आशा है कि इस मीटिंग में आप अधिक से अधिक संख्या में उपसिथित होंगे।

अपनी उपस्थिति की सूचना कम से कम एक सप्ताह पहले अवश्य भेज दें जिससे मीटिंग में सही व्यवस्था की जा सके। मीटिंग में जिन विषयों पर चर्चा होनी है वह इस प्रकार है :–

1. कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के निम्न पदाधिकारियों का चुनाव : (i) अध्यक्ष, (ii) समस्त क्षेत्रों के उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, (iii) सलाहकार समिति

   आपसे अनुरोध है कि इनके चुनाव में आप वार्षिक मीटिंग में अवश्य हिस्सा लें। यदि किन्ही कारणों से आप मीटिंग में आने में असमर्थ है तो आप उन सदस्यों का नाम लिख भेजिये जिन्हें आप विभिन्न पदों पर चुनना चाहते है। आपके द्वारा भेजे गए सुझाव एक वोट का अधिकार रखेंगे।

2. वर्ष 2012 के भण्डारण सत्र के लिए आलू की बुआई की पूरे देश की स्थिति की चर्चा।
3. वर्ष 2011 मे भण्डारण प्रभार पर सरकारी हस्तक्षेप की समीक्षा।
4. बीमा सम्बन्धी सुझाव व निराकरण।
5. विद्युत स्थिति पर व्यापक चर्चा।
6. शीतगृह में वर्ष 2011 में भण्डारित आलू की समीक्षा।
7. अन्य कोई विषय जिस पर आप चर्चा चाहते है। यह उचित होगा कि अन्य विषय के सम्बन्ध में पहले से ही हमें लिखित रूप में भेज दें जिससे कि पहले से तैयारी की जा सके।

हम चेष्टा करेंगे कि इस मीटिंग में प्रमुख सचिव, उद्यान, हिस्सा ले सकें और हम लोग अपनी समस्याओं को उनके सामने रख सकें।

मीटिंग का कार्यक्रम इस प्रकार होगा :–

दिनांक : 7.12.2011

स्थान : होटल क्लार्क अवध, 8 एम.जी. मार्ग, लखनऊ
फोनः 0522–2615009/2620131

समय : प्रातः 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक

- ❑ प्रातः 10 बजे से 10.30 बजे – चाय/काफी
- ❑ 10 बजे से 1.30 बजे दोपहर – मीटिंग
- ❑ 1.30 बजे से 2.30 बजे दोपहर – लंच
- ❑ 2.30 बजे से 4.30 बजे तक मीटिंग
- ❑ 4.30 बजे से 5.00 बजे तक चाय/काफी
- ❑ 5.00 बजे सायं मीटिंग समाप्त

सधन्यवाद

कृते कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(महेन्द्र स्वरूप)
अध्यक्ष

कोल्ड स्टोरेज बिकाऊ है :

एक इण्डस्ट्रियल कन्सलटेन्ट ने हमें लिखित सूचना दी है कि दो बढ़िया शीतगृह बिक्री के लिए आये हैं। पहला शीतगृह एक मल्टीनेशनल कम्पनी ने पंजाब में बनाया है जो कि किसी संचालन की असफलता के कारण पिछले 2/3 महीने से बन्द हो गया है। यह किसी विदेशी कम्पनी के साथ मिलकर बनाया गया है, जिसमें ताजा फल व सब्जी भण्डारण की व्यवस्था है। इस शीतगृह में अत्याधुनिक मशीनरी के साथ 4 शीतगृह कक्ष है और साथ में सब्जी व फल धोने के लिए छाँट–बीन करने के लिए व फल व सब्जी को पैक करने के लिए आवश्यक सुविधाएँ भी मौजूद हैं। जमीन, बिल्डिंग व मशीनरी के साथ पूरा शीतगृह करीब 10 करोड़ रुपए का बैठेगा। यदि आप इस शीतगृह को खरीदने की इच्छा रखते हो तो हमें संपर्क करें। हम आपको विक्रेता का पता भेज देंगे जिनसे आप संर्पक करके शीतगृह को जाकर देख भी सकते हैं।

दूसरे शीतगृह के बारे मे हमें फाइनेन्सिएल रिकन्सट्रक्टर्स ने संपर्क किया है। यह बंगाल के बृदवान जिले में स्थापित है व इसकी क्षमता 4,00,000 बोरा है। इसमे भी आधुनिक मशीने लगी हुई है। इसमे अभी शीतगृह की कीमत के बारे मे कुछ नहीं बताया गया है। आप यदि चाहे तो श्री जे. सिंह के फोन न. 9051401766 से संर्पक स्थापित कर सकते हैं।

इण्डिया पोटेटो एक्सपो के सम्बन्ध में :

कृपया ध्याान दें कि 3–5.3.2012 को NSIC Exhibition Complex, Okhla, New Delhi मे इण्डिया पोटेटो एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। यह अयोजन मीडिया टुडे प्रा. लि. कर रही है जिस के चीफ कोआरडीनेटर श्री एम.बी. नकवी है। उनका मोबाइल न. 9811152139 है। उनके द्वारा भेजा गया पत्र हम यहाँ प्रकाशित कर रहे हैं।

Ref: *Potato/Dell3rd* March, 2012.

Mr. Mahendra Swarup,
President,
Federation of Cold Storage Associations of India,
Swarup Cold Storage,
Water Works Road, Aishbag,
Lucknow -226004. Uttar Pradesh

Sub: FCAOI's participation in India Potato Expo 2012 from 3-5 March 2012 in New Delhi

Dear Sir,

We are glad to inform you that we are organizing the first ever India Potato Expo 2012 to be held during 3-5 March 2012 at NSIC Exhibition Complex, Okhla, New Delhi to promote potato, potato based products and related segments.

This is India's largest and very special exhibition on Potato and potato based products and services educating the Indian potato growers by displaying world's latest varieties, seeds, greenhouse concepts, production and post harvest technologies and other inputs and thereby creating more employment and income opportunities for small and marginal farmers in all parts of India. As India is one of the largest potato producers in the world and has one of the largest consumer base, this event will also bring together the growers, wholesalers, retailers. super markets, corporate and exporters every year and create greater understanding among them augmenting more business for them.

Our success owes a great deal to the continued support and cooperation of Ministry of Agriculture, as principal sponsor and its departments NHM, NHB, NFSM, ICAR, HMNEHS, AYUSH and Directorate of Extension, NBB etc. apart from the State Horticultre Mission and Departments, HOLLAND will be the PARTNER COUNTRY of the Expo. They are making a bigger pavilion inviting Dutch companies of technology providers and input suppliers for the India Potato Expo 2012 along with delegations to explore technical tie-ups and investment opportunities in India for sustainable trade relations.

This unique expo will be an eye opener to the growers and other stakeholders of potato and potato based product and services who want to expand and diversify their activities. We are getting encouraging response from all parts of the world and innovative products and technologies will be displayed from USA, Germany, France, Thailand, Phillipines, Turkey, China, Taiwan, Italy, Spain, The Netherlands, The UAE etc.

As Cold Storage industry is mostly used for Potatoes in India and facing many challenges and technical issues in changed business environment, we feel "FCAOI's" active participation at this platform will give an opportunity to unite the cold storage industry in India and will provide an opportunity to your organisation to explore more business.

We look forward to the pleasure of hearing from you of your confirmation of participation.

Thanking you.

नई शीतगृह डायरेक्ट्री के सम्बन्ध में :

वर्ष 2011 की शीतगृह की नई डायरेक्ट्री प्रकाशित हो गई है। इस डायरेक्ट्री में हमारे फेडरेशन के पुराने सदस्यों के साथ इस वर्ष नए सदस्य राजस्थान के शीतगृहों के नाम व पते भी जोड़े गए हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि यह डायरेक्ट्री 2 वर्ष के अन्तराल के बाद छापी जाती है। हमारा प्रयत्न रहता है कि शीतगृहों के नाम के साथ शीतगृहों के मुख्य संचालक की फोटो भी प्रकाशित करें। हमें जिन–जिन शीतगृहस्वामियों ने अपनी फोटो भेज दी थी वह इस डायरेक्ट्री मे छाप दी गई है। हमने अपने सदस्यों से प्राप्त उनके ई–मेल पते भी ज्यादा से ज्यादा प्रकाशित किये हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि अपने ई–मेल पते हम तक भेजना सुनिश्चित करें जिससे हम उनसे तुरन्त संपर्क स्थापित कर सकें। आपसे अनुरोध है कि इस डायरेक्ट्री में हुई गलतियों और भविष्य के लिए सुझावों

को अवश्य लिखित रूप मे भेजें। हमारा प्रयत्न हर समय आपको उन्नत से उन्नत सूचना पहुँचाने का रहता है। यह डायरेक्ट्री कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के सब सदस्यों को निशुल्क दी जाती है। आपसे अनुरोध है कि अगामी मीटिंगों में या लखनऊ कार्यालय आते समय आप अपनी डायरेक्ट्री की प्रति अवश्य ले लें।

शीतगृहों में 31 अक्टूबर के बाद बचे हुए आलू की समीक्षा :

हमारे संज्ञान में आया है कि इस वर्ष शीतगृहों में 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक सामान्य रूप से आलू बच रहा है। कुछ शीतगृहों में तो 35 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक आलू नहीं निकल पाया है। इस स्थिति का हमें बहुत खेद है। इस समय आलू के भाव इस कदर गिर गए हैं कि मण्डियों में कोल्ड स्टोरेज का आलू किसी भी भाव में नही बिक रहा है। यह दुर्दशा सफेद खाने वाले आलू की विशेष रूप से है। लाल आलू चूकि कुछ क्षेत्रों में बुआई के काम आता है और अभी कुछ क्षेत्रों में बुआई चल रही है 300 रू कुन्तल तक बिक रहा है जिसकी उम्मीद अब 1/2 दिसम्बर तक बिकने की ही बताई जा रही है। शीतगृहों पर इस भण्डारित आलू के निस्तारण की विकराल समस्या आ खड़ी हुई है। सड़े, गले या खराब आलू को फेकने के लिए भी जगह नहीं मिल रही है क्योंकि हर जगह प्रदूषण की वजह से आलू को फेकने से प्रशासन मना कर रहा है। शीतगृहों को कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है।

विद्युत सम्बन्धी :

दिनांक 26.9.2011 को इलेक्ट्रिकसिटी सप्लाई कोड रिव्यू पैनल जिसमें हम भी सदस्य हैं की मीटिंग थी। इसमें हमारे द्वारा यह विषय लिया गया कि इलेक्ट्रिक सप्लाई कोड, विद्युत वितरण कोड की धारा 2.2 (fff) के अर्न्तगत ग्रामीण व शहरी विद्युत फीडरों की परिभाषा नहीं दी गई है। इस बिन्दु को विद्युत नियामक आयोग ने मान लिया है और शीघ्र ही इस पर स्पष्टीकरण देने का आश्वासन दिया है।

श्री अवधेश कुमार वर्मा द्वारा यह बिन्दु उठाया गया कि जैसे विद्युत वितरण कोड मे ऐनेकजर 7.1 पेनाल्टी का प्राविधान है वह अभी तक लागू नहीं किया गया है। अब उसे लागू कर दिया गया है। यद्यपि इसकी समीक्षा दिसम्बर माह के बाद पुनः की जायेगी परन्तु ऐसी आशा की जाती है कि यह प्राविधान बना रहेगा और बिजली कम्पनी की कार्यशैली में कुछ सुधार अवश्य आयेगा।

आग सम्बन्धी किराना बीमा के सम्बन्ध में :

जैसा कि आप जानते है कि शीतगृहों मे मुख्यतः आलू भण्डारण होता है परन्तु पिछले 8/10 वर्षो से किराना का भण्डारण भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। एक दो वर्षो के अन्दर कई शीतगृहों मे आग लगने की घटनाएँ हुई हैं जिसमें शीतगृहों व व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। कुछ शीतगृहों में तो बीमा होने के बाद भी नाममात्र का भी पैसा क्लेम में नहीं मिला क्योंकि किराने की कीमत अत्यधिक होने के कारण शीतगृहों ने बाजार भाव पर बीमा नहीं करवाया और अन्डर इन्शोरेन्स क्लाज Under Insurance Clause में उनके पैसे कट गये। कुछ की बीमा पालिसी ही ऐसी खराब थी कि बीमा कम्पनी ने क्लेम नहीं दिया। अतः अब हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि जिन शीतगृहों में किराने का भण्डारण होता है उन्हे किराने की आग लगने की पालिसी को सही तरीके से व सही रेट पर कराना चाहिए।

इस सम्बन्ध में हमने किराना व्यापारियों से बात की है और वह भी यही चाहते है कि आग के खतरे से उनका माल अवश्य सुरक्षित रहे, चाहे उस पर भण्डारण खर्च थोड़ा बढ़ ही क्यों न जाए। इस सम्बन्ध में हमारी बातचीत बीमा कम्पनियों से चल रही है। शीघ्र ही हम एक सही पालिसी की रूपरेखा तैयार करवायेंगे और सदस्यों को उसकी जानकारी देंगे। फिर सदस्यों पर निर्भर करता है कि आग के बीमे के सम्बन्ध में क्या करें। किन्तु हमारी सलाह यही होगी कि जितनी अधिक सुरक्षा से चला जाए वही ठीक रहता है। वैसे भी आप सब जानते होंगे कि शीतगृह के काम में कितना ज्यादा Risk रिस्क शामिल होता है।

विद्युत सम्बन्धी

. . . पिछले अंक का शेष

16. (क) विद्युत नियामक आयोग के द्वारा उपभोक्ताओं द्वारा जमा प्रतिभूति धनराशि पर दिनांक 14.09.2006 तक 3 प्रतिशत ब्याज एवं उसके पश्चात् 6 प्रतिशत की दर से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह में ब्याज दिए जाने का प्राविधान है। यदि विभाग द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है, इसकी लिखित शिकायत उच्च अधिकारियों से अवश्य करें।

    (ख) विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत यदि कोई उपभोक्ता विभाग से प्री–पेड मीटर से अपनी विद्युत आपूर्ति चाहता है तो विभाग उसको प्री–पेड मीटर से विद्युत आपूर्ति देगा तथा इस स्थिति में अतिरिक्त प्रतिभूति धनराशि की माँग उपभोक्ता से नहीं करेगा।

(ग) विद्युत वितरण संहित 2005 के अनुसार विभाग प्रत्येक वित्तीय वर्ष का औसत मासिक बिल के आधार पर दो माह के बिल के धनराशि के बराबर पूर्व में जमा प्रतिभूति धनराशि को घटाते हुए अतिरिक्त प्रतिभूति धनराशि की माँग हेतु नोटिस जारी करेगा एवं यह धनराशि निर्धारित अवधि में जमा नहीं होने पर विभाग को संयोजन काटने का अधिकार होगा। इस असुविधा से बचने के लिए प्रत्येक उपभोक्ता को प्री–पेड मीटर लगाने हेतु विभाग को लिखित रूप में अविलम्ब सूचित कर देना चाहिए। यदि विभाग मना करता है तथा अतिरिक्त प्रतिभूति धनराशि अधिक है तो उपभोक्ता को उच्च न्यायालय की शरण लेना चाहिए।

(घ) यदि किसी उपभोक्ता से माँगी गई अतिरिक्त प्रतिभूति की धनराशि, जमा प्रतिभूति धनराशि के 10 प्रतिशत से कम है तो विद्युत वितरण संहिता 2005 के अनुसार विभाग आपसे अतिरिक्त प्रतिभूति धनराशि की माँग नहीं कर सकता।

17. (क) प्रत्येक उपभोक्ता का यह दायित्व है कि विभाग द्वारा मीटर बदले जाने पर, मीटर सीलिंग प्रमाण की प्रति अवश्य प्राप्त कर लें एवं यह सुनिश्चित कर लें कि नये एवं पुराने मीटर की सही रीडिंग सीलिंग प्रमाण–पत्र में अंकित है अथवा नहीं। यदि अधिकारी सीलिंग प्रमाण–पत्र देने से मना करें तो उसकी शिकायत उच्च अधिकारियों एवं आयोग से अवश्य करें।

(ख) विद्युत वितरण संहिता 2005 के अनुसार विभाग की जिम्मेदारी है कि ऐसे उपभोक्ता जिनका विद्युत भार 100 के.वी.ए. तक है उनके मीटर की जाँच वर्ष में एक बार तथा अन्य एल.टी. उपभोक्ता के संयोजन पर लगे मीटर की जाँच दो वर्ष में एक बार की जायेगी। अतः सभी उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि यदि विभाग द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो स्वयं पत्राचार करके इसकी जाँच करा लें जिससे कि विभाग आपके ऊपर जाँच तिथि से पूर्व किसी भी प्रकार का कोई असिसमेन्ट ना करा सकें।

18. **<u>रूरल रिबेट :</u>**

सामान्यतः उपभोक्ताओं को यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें ग्रामीण छूट मिलेगी अथवा नहीं। ग्रामीण छूट के सम्बन्ध में आयोग द्वारा समय–समय पर विद्युत वितरण संहिता एवं विद्युत दर सूचियों (टैरिफ) में स्पष्ट किया गया है कि कौन–कौन से उपभोक्ता ग्रामीण छूट के हकदार होंगे। इस सम्बन्ध में कुछ परिभाषायें नीचे दी जा रही है :–

(क) ग्रामीण क्षेत्र (रूरल एरिया) – यह वो एरिया है जिसकी अधिसूचना प्रदेश सरकार विद्युत

अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत घोषित करती है। परन्तु इसका कोई विवरण उपलब्ध नहीं है कि प्रदेश सरकार द्वारा ऐसी कोई अधिसूचना जारी की गयी है।

(ख) शहरी क्षेत्र (Urban Area) – ग्रामीण क्षेत्र एवं पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर समस्त क्षेत्र शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

(ग) ग्रामीण अनुसूची (Rural Schedule)

(घ) ग्रामीण फीडर (Rural Feeder)

क्रमांक ग एवं घ पर अंकित ग्रामीण अनुसूची व ग्रामीण फीडर के सम्बन्ध में विद्युत वितरण संहिता 2005 में स्पष्ट उल्लेख है कि ग्रामीण अनुसूची और ग्रमीण फीडर का वही अर्थ होगा जैसा कि आयोग के टैरिफ आर्डर में वर्णित होगा या जैसा कि उस सीमा तक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा घोषित है जो टैरिफ आदेश के असंगत न हो। टैरिफ आर्डर अथवा किसी लाइसेन्सी की Website में ग्रामीण अनुसूची एवम् ग्रामीण फीडर का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है तथा वर्तमान टैरिफ में आयोग ने उपभोक्ताओं के ऊपर कुठाराघात करते हुए यह निर्णय दिया है कि उपभोक्ता जिनको टी.ओ.डी. मीटर के द्वारा विद्युत आपूर्ति की जा रही है उनको 15% Rural rebate नहीं दी जाएगी।

नोट : यदि उ.प्र. कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन अपने सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से चाहे तो हमारी कम्पनी इस मामले में विधिक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है जिससे सभी सदस्यों को इसका लाभ प्राप्त हो सके।

19. **<u>Voltage Variation</u>**

उ.प्र. विद्युत वितरण संहिता 2005 एवं संशोधन के अनुच्छेद 77.1 में प्राविधान है कि प्रत्येक लाइसेन्सी घोषित वोल्टेज के संदर्भ में नीचे दिये गए नियत सीमा के अन्तर्गत उपभोक्ता को आपूर्ति प्रारम्भ के बिन्दु पर वोल्टेज कायम रखेगा।

1. Low Voltage – up to 11 kV (+) 6% से (–) 6%
2. High Voltage – (+) 6% से (–) 9%
3. Extra High Voltage (+) 10% से (–) 12%

यदि किसी उपभोक्ता को आपूर्ति प्रारम्भ के बिन्दु पर उपरोक्त नियम सीमा के अन्तर्गत वोल्टेज प्राप्त नहीं होता है तो उपभोक्ता लाइसेन्सी को शिकायत दर्ज करेगा और लाइसेन्सी को निम्न वर्णित समय पर इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा।

(क) स्थनीय समस्याओं के मामले में 24 घंटे के अन्दर।

शेष पृष्ठ 20 पर . . .

FEDERATION OF COLD STORAGE ASSOCIATIONS OF INDIA
Regd. Office : Swarup Cold Storage, Aishbagh, Lucknow (U.P.) Pin - 226004
Phone : 0522-2242486, Fax : 91-0522-2242486, Mob. : 9335019355, 9415418566
E-mail : coldstorage@satyam.net.in, Website : http : //www.fcaoi.org

Regd. No. 907-2001/2

Mahendra Swarup - President, **Swapan Kumar Mondal** - Vice President (North), **Ashish Guru,** Vice President (South)
Mukesh Kr. Aggarwal - Hony. Secy., **B.L. Jaju** - Dir. Incharge and Finance Controller, **S.N. Ashraf** - Jt. Secy. and Dir. Coordination,
Kulwant Singh Saini - Director Information & Revenue, **Rajesh Goyal** - National Coordinator, **Gubba Nagender Rao** - Coordinator (South)
Engr. Major Md. Jasimuddin (Retd.) President, Bangladesh Cold Storage Association (International Coordinator)

TOGETHER WE PROGRESS

उत्तर प्रदेश : नवम्बर माह के अन्त तक शीतगृहों में 7–8 प्रतिशत आलू बच गया है जिसकी निकासी एक समस्या बनी हुई है। कुछ शीतगृहों में जहाँ आलू खराब भी हो गया है आलू फिकवाने की भी एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है, जिसका समाधान नहीं मिल रहा है। आलू के भाव निम्नतर स्तर पर हैं। शीतगृहों में 60 रूपया 50 किलो कट्टा से लेकर 110 रूपए कट्टे का आलू बिक रहा है।

बिहार से भी हमें कुछ शीतगृहों से समाचार मिले हैं कि बिहार के शीतगृहों की भी वही दशा है जो उत्तर प्रदेश के शीतगृहों की है। आलू शीतगृहों में फसा हुआ है और कोई लिवाल नजर नहीं आता है।

बुआई अधिक होने के समाचार मिल रहे हैं। अगर कोई रोग नहीं लगा तो अगले वर्ष शीतगृहों को भण्डारण के लिए पूरा आलू मिल जाने की अच्छी सम्भावना है।

मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेश से श्री बी.एल. जाजू, अध्यक्ष, मध्य प्रदेश कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ने हमें सूचित किया है कि मध्य प्रदेश में आलू की बुआई 15 दिसम्बर तक पूरी हो जाने का अनुमान है और आपको इस वर्ष अच्छी वर्षा होने के कारण अच्छी फसल होने की आशा है। मध्य प्रदेश में मध्य नवम्बर तक 5 से 10 प्रतिशत खाने वाला आलू शीतगृहों में बच गया था।

कई शीतगृहों ने इस वर्ष अपनी क्षमता बढ़ाई है और कई शीतगृह नए आ रहे हैं। इस तरह अनुमान है कि करीब 45000 मी. टन की क्षमता मध्य प्रदेश में इस वर्ष बढ़ जायेगी। वैसे यह वर्ष किसानों, व्यापारियों व शीतगृहस्वामियों को सबको घाटे का वर्ष रहा है।

. . . पृष्ठ 15 का शेष

(ख) L.T. वितरण प्रणाली की अपर्याप्तता (Inadequacy of L.T. distribution system) के मामले में माह के भीतर।

(ग) H.T. वितरण प्रणाली में कमी (defficiency in the H.T. distribution system) के मामले में 12 माह के भीतर।

ऐसे उपभोक्ता जिनको कम वोल्टेज की आपूर्ति हो रही है वे सभी विद्युत वितरण संहिता 2005 के अन्तर्गत हर्जाना पाने के हकदार है परन्तु 6 साल बीत जाने के उपरान्त भी उ.प्र. नियामक आयोग ने इसको लागू नहीं किया है अपितु उसने अपने संहिता के संलग्नक 7.1 में यह लिखा है कि इसका क्रियान्वयन बाद में लागू किया जायेगा जोकि उपभोक्ता के साथ अन्याय है क्योंकि यदि उपभोक्ता से दण्ड लिया जा सकता है तो उसको हर्जाना भी मिलना चाहिए।

नोट : ग्रामीण फीडरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कम वोल्टेज की समस्या अधिकता में पायी जाती है। यदि उ.प्र. कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ऐसे सभी सम्मानित सदस्यों की तरफ से चाहे तो हमारी कम्पनी आयोग एवं अनुज्ञप्तिधारियों के खिलाफ विधिक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है।

. . . शेष अगले अंक में

सेवा में,

Postal Registration No.SSP/LW/NP65/2011-13

.....

.....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित